



UPLK010027202025

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-17, लखनऊ।
पीठासीन अधिकारी-रवीन्द्र प्रसाद गुप्ता (एच०जे०एस०) – UP06419
प्रकीर्ण सिविल अपील संख्या-58/2025

1-विशुन दास शुक्ला वयस्क पुत्र महाराज निवासी-बालागंज, निकट ग्लोरियस एकेडमी ,
नीलकंठ हास्पिटल, बालागंज लखनऊ।

.....अपीलार्थी।

बनाम

1- श्री राम वयस्क पुत्र कुशहर।

2- राम गनेश वयस्क पुत्र कुशहर।

3- राम नरेश यादव वयस्क पुत्र स्व० सजीवन लाल यादव ----

-----सर्व निवासीगण ग्राम अहिरन खेड़ा,
544D/165, दुबग्गा लखनऊ।

4- श्री बट्टी प्रसाद यादव पुत्र गंगाराम निवासी अहिरनखेड़ा, दुबग्गा , लखनऊ।

.....विपक्षीगण।

निर्णय

1. प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील संख्या-58/2025 अपीलार्थी विशुन दास शुक्ला द्वारा अन्तर्गत धारा-आदेश 43 नियम 1(r) सी०पी०सी०, विद्वान विचारण न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०) कोर्ट नम्बर-39, लखनऊ द्वारा मूल वाद संख्या-435/2023, श्री राम एवं अन्य बनाम विशुनदास शुक्ल एवं अन्य में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी०पी०सी० पर पारित फार्मल आदेश दिनांकित-28.01.2025 के विरुद्ध योजित की गयी है।

2. विद्वान विचारण न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०) कोर्ट नम्बर-39, लखनऊ द्वारा मूल वाद संख्या- 435/2023, श्री राम एवं अन्य बनाम विशुनदास शुक्ल एवं अन्य में पारित आदेश दिनांकित-28.01.2025 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक-17.02.2025 को माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के समक्ष योजित की गयी जो अन्ततः माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश से सुनवाई हेतु इस न्यायालय में प्राप्त हुई।

3. संक्षेप में प्रकरण में मुख्य तथ्य यह हैं कि मूल वद संख्या-435/2023 श्री राम एवं अन्य बनाम विशुनदास शुक्ल एवं अन्य वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा योजित करते हुए उसमें प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 मय शपथ पत्र सपठित धारा-151 सी०पी०सी० विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए यह अभिकथित किया गया है कि वादीगण गाटा संख्या 20/4 रकबा 0.0630 हेक्टेयर स्थित ग्राम बरौरा परगना बरौरा हुसैनबाड़ी, तहसील व जनपद लखनऊ के संक्रमणीय भूमिधर कृषक काबिज दाखिल हैं जिसको चौहद्दी वादपत्र में वर्णित है जिससे प्रतिवादीगण का कोई स्वत्व

व अधिकार व सम्बन्ध नहीं है और प्रतिवादीगण शोहरे पुश्त, दबंग व आसमाजिक व्यक्ति हैं इनका काम भय व आतंक के बल पर जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और इसी वजह से दिनांक-13.02.2023 को प्रतिवादीगण अपने साथ 15-20 अज्ञात व्यक्ति जिनके साथ महिलाएं भी थी, वादीगण के प्रश्रुत भूखंड संख्या-20/4 पर कब्जा करने की नियत से इकट्ठा हो गये जिसके लिए मना किया गया तो प्रतिवादीगण ने वादीगण को भद्दी-भद्दी गालियां व अपशब्द करने लगे। तब 112 नंबर डायल करने पर पुलिस आ गयी तब वे लोग कब्जा करने की धमकी देते हुए चले गये।

वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में सूची C-8/1 से खतौनी की मूल प्रति फसली वर्ष 1426-1431(01 जुलाई 2018 से 30 जून 2024) ग्राम बरौरा हुसैनबाड़ी तहसील व जनपद लखनऊ गाटा संख्या-20/4 कागज संख्या C-8/2 ता 9, खतौनी गाटा संख्या -19 व 20/2 कागज संख्या C-8/10, इन्तखाब खसरा की मूल प्रति खसरा नम्बर 20/4 कागज संख्या C-8/11 व वादीगण के आधार कार्ड की छायाप्रति कागज संख्या C-8/12 ता 14 दाखिल किये गये हैं।

4. प्रतिवादी सं०-1 की ओर से जवाबदावा A-22 व आपत्ति A-24 मय शपथ पत्र विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 C-24 प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह अभिकथित किया है कि वादीगण भूमि खसरा संख्या-20/4 स्थित ग्राम बरौरा हुसैनबाड़ी, परगना, तहसील व जिला लखनऊ की आड़ में प्रतिवादी की सम्पत्ति के किता भूखण्ड 1700 वर्गफिट मिनजुमला खसरा संख्या 19 व खसरा संख्या 20/2 स्थित ग्राम बरौरा हुसैनबाड़ी परगना व तहसील व जिला लखनऊ जिसकी चौहद्दी पूरब -मकान हितेश तिवारी एवं रतनेश तिवारी, पश्चिम-संपत्ति टोली मौर्या, उत्तर-रास्त व दक्षिण-आराजी दीगर है, उक्त सम्पत्ति को अवैधानिक रूप से छल-कपट कर तथ्यों को छिपाते हुए यह वाद मनगढन्त व कपोल कल्पित तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है जबकि उसने कुशहर पुत्र भोगई से भूमि खसरा संख्या-19 क्षेत्रफल 12 बिस्वा व खसरा संख्या-20/2 क्षेत्रफल 7 बिस्वा कुल क्षेत्रफल 19 बिस्वा स्थित ग्राम बरौरा हुसैनबाड़ी परगना व तहसील व जिला लखनऊ को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख क्रय दिनांक-05.07.1982 को क्रय किया था तथा राजस्व अभिलेखों में उसका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुआ। उसके पश्चात् उसने छोटे-छोटे आवासीय भूखण्डों में विकसित करके उसे विक्रय किया जिसमें कई मकान बने हैं और एक भूखण्ड 1700 वर्गफिट अपने परिवार की आवश्यकताओं के लिए अपने पास रख लिया है जिस पर बाउण्ड्री वाल बनी है तथा गेट लगा है। वादीगण द्वारा अपने अधिवक्ता श्री कमलेश सिंह के माध्यम से पंजीकृत विधिक नोटिस भेजी गयी थी जिसका उत्तर उसने दिया था।

प्रतिवादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में सूची C-26/1 से विक्रय विलेख दिनांकित-05.07.1982 की प्रमाणित प्रति कागज संख्या C-26/2 ता 5, खतौनी फसली वर्ष 1426-1431 प्रमाणित प्रति कागज संख्या C-26/6, विक्रय विलेख दिनांक-06.07.2013 की प्रमाणित प्रति कागज संख्या C-26/7 ता 22, विक्रय विलेख दिनांकित-28.11.2019 की प्रमाणित प्रति कागज संख्या C-26/23 ता 34 व वादीगण द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक-31.01.2023 की छायाप्रति कागज संख्या C-26/35 ता 38 तथा सूची C-40 से पंजीकृत बैनामा की प्रमाणित प्रतिलिपि की मूल प्रति कागज संख्या C-41/1 ता 14, इन्तखाब खतौनी मूल प्रति (विशुनदास शुक्ला) कागज संख्या C-41/15 व इन्तखाब खतौनी मूल प्रति कागज संख्या-C-41/16 ता 22 पत्रावली पर दाखिल किये गये हैं।

5. प्रस्तुत मामले में प्रार्थना पत्र 6 ग पर गुणदोष के आधार पर सुनवाई करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक-28.01.2025 को प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए निम्न आदेश पारित किया गया है:-

"प्रार्थना पत्र ग-6 स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को विवादित गाटा संख्या 20/4 रकबा 0.0630 हेक्टेयर स्थित ग्राम बरौरा, परगना बरौरा हुसैनबाड़ी, तहसील व जनपद लखनऊ से दौरान वाद वादीगण को विधि-विरुद्ध तरीके से बेदखल करने व कब्जा करने से निषेधित किया जाता है। इस आदेश का कोई भी प्रभाव राज्य सरकार की सीमांकन कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा। इस आदेश का कोई भी प्रभाव किसी सक्षम न्यायालय में प्रचलित कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा। पत्रावली वास्ते वाद बिन्दु विरचन हेतु दिनांक-19.02.2025 को पेश हो।"

6. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित-28.01.2025 के विरुद्ध अपीलार्थी/प्रतिवादी ने प्रकीर्ण अपील अन्तर्गत आदेश 43 नियम 1(r) सी०पी०सी० योजित करते हुए मुख्य रूप से यह अभिकथित किया गया है कि अपीलार्थी गाटा संख्या 19 व 20/2 रकबा 19 बिस्वा का स्वामी व काबिज है जिसे उसने विपक्षीगण/वादीगण के पिता कुशहर पुत्र भोगई से जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख क्रय कर उसे आवासीय प्लाट के रूप में विकसित कर बेच दिया था जिससे उपरोक्त विवादित भूमि के विपक्षीगण न तो मालिक हैं न ही स्वामी हैं। उसके बाद भी विपक्षीगण/वादीगण ने स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद योजित करते हुए अन्तरिम निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा-151 सी०पी०सी० प्रस्तुत किया जिस पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए दिनांक-28.01.2025 को आदेश पारित किया गया है जबकि उपरोक्त विवादित भूमि विपक्षीगण के पिता स्व० कुशहर पुत्र भोगई ने गाटा संख्या 20/4 की भूमि रकबा 0.0630 हे० स्थित ग्राम बरौरा हुसैनबाड़ी परगना व तहसील व जिला लखनऊ को दिनांक-11.10.2001 को सहकारी आवास समिति लिमिटेड के पक्ष में जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख विक्रय कर दिया किन्तु उपरोक्त रजिस्ट्री स्टाम्प ड्यूटी की कमी के कारण उसका बैनामा दिनांक-27.07.2022 को पंजीकृत हुई। किन्तु इस तथ्य को विद्वान विचारण न्यायालय ने नहीं देखा है और उपरोक्त निष्पादित विक्रय विलेख दिनांकित-11.10.2001 व 27.07.2022 को देखे बिना ही विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा गलत ढंग से उपरोक्त आदेश पारित किया गया है जो कानून कि दृष्टि में बने रहने योग्य नहीं है। अतः अपील स्वीकार करने की याचना की गयी है।

7. विपक्षीगण/वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रकीर्ण अपील पर आपत्ति C-22 मय शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए यह अभिकथित किया गया है कि प्रश्नगत आराजी गाटा संख्या 20/4 स्थित ग्राम बरौरा, हुसैनबाड़ी परगना व तहसील व जिला लखनऊ जो कि कुशहर ने फ्रेण्ड्स सहकारी आवास समिति लिमिटेड को वक्रिय विलेख दिनांक-11.10.2001 को किया था वह पूर्ण असत्य मनगढन्त एवं षडयन्त्र के अन्तर्गत है। स्व० कुशहर ने कभी कोई विक्रय विलेख प्रश्नगत आराजी का किसी के पक्ष में नहीं किया है और उनकी मृत्यु 2004 में हो गयी थी और उनके मृत्यु के पश्चात् राजस्व अभिलेखों में उनके उत्तराधिकारी श्रीराम, मुन्ना लाल, रामगनेश, रामनरेश, उमेश, रामरती का नाम अंकित हो गया था और प्रश्नगत आराजी का नामान्तरण प्रार्थना पत्र फ्रेण्ड्स सहकारी आवास समिति लिमिटेड के सचिव राज बाबू रस्तोगी के द्वारा किया गया था। जो दिनांक-08.02.2023 को निरस्त हो चुका है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिपूर्ण व यथोचित है। विद्वान विचारण न्यायालय ने उपरोक्त आदेश पारित करने में कोई विधिक अवैधानिकता या

अनियमितता कारित नहीं की है। बल्कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आदेश पारित किया है जो विधिपूर्ण व यथोचित है।

8. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को अपील पर सुना तथा पत्रावली मय मूल पत्रावली मूल वाद संख्या-435/2023 पर उपलब्ध प्रपत्रों मय अभिलेखों का परिशीलन किया।

9. पत्रावली के परिशीलन से दर्शित है कि प्रस्तुत वाद में मुख्य रूप से तीन बिन्दुओं को देखा जाना है:-

1- प्रथम दृष्टया वाद।

2- सुविधा का संतुलन।

3- अपूर्णनीय क्षतिपूर्ति।

10. प्रथम दृष्टया वाद-

जहां तक बिन्दु संख्या-1 प्रथम दृष्टया वाद का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि विपक्षीगण/वादीगण द्वारा योजित मूल वाद संख्या-435/2023 श्रीराम आदि बनाम विशुनदास शुक्ला आदि में मुख्य रूप से यह अभिकथित किया गया है कि वादीगण गाटा संख्या-20/4 रकबा रकबा 0.0630 हेक्टेयर स्थित ग्राम बरौरा परगना बरौरा हुसैनबाड़ी, तहसील व जनपद लखनऊ के संक्रमणीय भूमिधर जिसकी चौहद्दी वादपत्र में वर्णित है और उस भूमि पर प्रतिवादीगण या किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व अधिकार या सम्बन्ध नहीं है फिर भी वह भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या-1 ने भी यह अभिकथित किया है कि वह भूमि संख्या-20/4 के स्वामी नहीं है बल्कि उसने वादीगण के पिता कुशहर से ही भूमि गाटा संख्या 19 क्षेत्रफल 12 बिस्वा व गाटा संख्या 20/2 क्षेत्रफल 7 बिस्वा कुल क्षेत्रफल 19 बिस्वा दिनांक-05.07.1982 को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख क्रय किया था तथा राजस्व अभिलेखों में उपरोक्त भूमि उसके नाम से है। जिसके सम्बन्ध में पत्रावली में उसकी ओर से सूची संख्या C-26 से स्व० कुशहर द्वारा निष्पादित पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांकित-05.07.1982 की सत्यापित प्रति कागज संख्या C-26/3 ता 5 व खतौनी C-26/3 दाखिल की है व मूल वाद की पत्रावली में सूची संख्या C-40 से दाखिल पंजीकृत विक्रय विलेख C-40/2 ता 14 की प्रति दाखिल की गयी है जिसमें श्री कुशहर के मुख्तारेआम श्री अनिल कुमार द्वारा भूमि संख्या 20/4 के साथ उनके अन्य भूमि स्थित ग्राम बरौरा हुसैनबाड़ी परगना, तहसील व जिला लखनऊ को दिनांक-23.05.2001 को पंजीकृत मुख्तारेआम के आधार पर उसका विक्रय फ्रेण्डस सहकारी आवास समिति लिमिटेड द्वारा सचिव राजबाबू सचान के पक्ष में पंजीकृत विक्रय विलेख निष्पादित किया। जिसमें उसने आवासीय प्लॉट विकसित कर विक्रय किया तथा 1700 वर्गफिट अपने नाम से रखा जिसमें गेट लगा हुआ है जिसकी चौहद्दी वादपत्र में वर्णित है। जिससे उपरोक्त विक्रय विलेख अपीलार्थी के अनुसार स्टाम्प पूरे न होने के कारण उस दिन पंजीकृत नहीं हुआ और उसका बैनामा दिनांक-27.07.2022 को पंजीकृत हुआ।

विपक्षीगण/वादीगण द्वारा श्री कुशहर के मुख्तारेआम श्री अनिल कुमार द्वारा भूमि संख्या-20/4 रकबा 0.0630 हे० के सम्बन्ध में फ्रेण्डस सहकारी आवास समिति लिमिटेड के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत विक्रय विलेख के सम्बन्ध में कोई बैनामा निरस्तीरण का वाद योजित किया गया हो, इस आशय का कोई तथ्य पत्रावली पर नहीं आया है। जहाँ तक विपक्षीगण/वादीगण का यह कथन है कि उपरोक्त विक्रय विलेख कुशहर ने निष्पादित नहीं किया था किन्तु यहाँ उल्लेखनीय है कि सम्बन्धित भूमि खसरा

संख्या-20/4 को स्व० कुशहर के जीवनकाल में ही उकने मुख्तारेआम श्री अनिल कुमार द्वारा उसका पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक-11.10.2001 को ही निष्पादित कर दिया गया था भले ही उपरोक्त विक्रय विलेख स्टाम्प पूरे न होने के कारण उस दिन पंजीकृत नहीं हुआ तथा उसका पंजीकरण दिनांक-27.07.2022 को हुआ है और उपरोक्त पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांकित-11.10.2001 का पंजीकरण हेतु प्रस्तुत के पश्चात् व उके पंजीकरण स्टाम्प ड्यूटी पूरी न होने के कारण बाद में उपरोक्त कमी को पूरा करने के पश्चात् दिनांक-27.07.2025 को पंजीकृत होने तक विपक्षीगण/वादीगण द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गयी इसका कोई कारण दर्शित नहीं किया गया है। यहाँ तक कि उपरोक्त निष्पादित पंजीकृत विक्रय विलेख के पंजीकृत होने की तिथि दिनांक-27.07.2022 के पश्चात् उसके निरस्तीकरण हेतु कोई वाद योजित किया गया है या नहीं इसका भी इस स्तर पर कोई कथन नहीं किया गया है न ही विपक्षीगण/वादीगण ने इस तथ्य को अपने वादपत्र में वर्णित किया है और इस तथ्य को क्यों छिपाया गया है इसका कारण भी नहीं दर्शित किया गया है जबकि निषेधाज्ञा के वाद में वादी का विधिक दायित्व है कि वह न्यायालय से तथ्यों को छिपाये नहीं बल्कि स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष आना चाहिए। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत विवादित भूमि खसरा संख्या 20/4 रकबा रकबा 0.0630 हेक्टेयर स्थित ग्राम बरौरा परगना बरौरा हुसैनबाड़ी, तहसील व जनपद लखनऊ जिसको विपक्षीगण/वादीगण द्वारा अपनी भूमि बताते हुए प्रस्तुत निषेधाज्ञा का वाद योजित किया गया है, इस तथ्य को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा भी नहीं देखा गया है।

ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन से यह दर्शित हो रहा है कि विपक्षीगण/वादीगण के पक्ष में **प्रथम दृष्टया वाद** नहीं बनता है।

11. सुविधा का संतुलन-

जहाँ तक बिन्दु संख्या-2 सुविधा का संतुलन का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि श्री कुशहर के मुख्तारेआम श्री अनिल कुमार द्वारा भूमि संख्या 20/4 स्थित ग्राम बरौरा हुसैनबाड़ी परगना, तहसील व जिला लखनऊ को दिनांक-23.05.2001 को पंजीकृत मुख्तारेआम के आधार पर उसका विक्रय फ्रेण्डस सहकारी आवास समिति लिमिटेड द्वारा सचिव राजबाबू सचान के पक्ष में पंजीकृत विक्रय विलेख निष्पादित किया। उपरोक्त विक्रय विलेख अपीलार्थी के अनुसार स्टाम्प पूरे न होने के कारण उस दिन पंजीकृत नहीं हुआ और उसका बैनामा दिनांक-27.07.2022 को पंजीकृत हुआ है तथा निष्पादित पंजीकृत विक्रय विलेख के सम्बन्ध में कोई बैनामा निरस्तीकरण का वाद वादीगण/विपक्षीगण द्वारा योजित किया गया हो, इस आशय का कोई तथ्य पत्रावली पर नहीं आया है जिससे दर्शित है कि उपरोक्त निष्पादित पंजीकृत विक्रय विलेख आज भी प्रभावी है। ऐसी स्थिति में **सुविधा का संतुलन** भी वादीगण/विपक्षीगण के पक्ष में नहीं है।

12. अपूर्णनीय क्षतिपूर्ति-

जहाँ तक बिन्दु संख्या-3 **अपूर्णनीय क्षतिपूर्ति** का सम्बन्ध है तो इस सम्बन्ध में उपरोक्त विवेचन से दर्शित है कि प्रथम दृष्टया वाद व सुविधा का संतुलन वादीगण/विपक्षीगण के पक्ष में न होकर अपीलार्थी/प्रतिवादी के पक्ष में है क्योंकि विवादित भूमि भूमि गाटा संख्या-20/4 रकबा रकबा 0.0630 हेक्टेयर स्थित ग्राम बरौरा परगना बरौरा हुसैनबाड़ी, तहसील व जनपद लखनऊ का निष्पादित पंजीकृत विक्रय विलेख

दिनांकित-11.10.2001 व 27.07.2022 जो अभी तक निरस्त नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में वादीगण/विपक्षीगण को अपूर्णनीय क्षतिपूर्ति होना सम्भाव्य नहीं है।

13. ऐसी स्थिति में उपरोक्त समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों तथा किये गये उपरोक्त विवेचन से दर्शित है कि प्रथम दृष्टया वाद वादीगण/विपक्षीगण के पक्ष में न होकर अपीलार्थी/प्रतिवादी के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति भी अपीलार्थी/प्रतिवादी को होना दर्शित है।

14. अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांकित-28.01.2025 विधिपूर्ण व यथोचित नहीं है बल्कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि व अनियमितता कारित की गयी है। ऐसी स्थिति में अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रकीर्ण अपील संख्या-58/2025 विशुन दास शुक्ला बनाम श्रीराम आदि स्वीकार किये जाने योग्य है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद संख्या-435/2023, श्री राम एवं अन्य बनाम विशुनदास शुक्ला एवं अन्य में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी०पी०सी० पर पारित फार्मल आदेश दिनांकित-28.01.2025 अपास्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील संख्या-58/2025 विशुनदास शुक्ला बनाम श्रीराम आदि स्वीकार की जाती है।

विद्वान विचारण न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०) कोर्ट नम्बर-39, लखनऊ द्वारा मूल वाद संख्या-435/2023, श्री राम एवं अन्य बनाम विशुनदास शुक्ला एवं अन्य में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी०पी०सी० पर पारित आदेश दिनांकित-28.01.2025 अपास्त किया जाता है।

वाद लिपिक को आदेशित किया जाता है कि इस निर्णय की एक प्रति प्रमाणित कर मूल पत्रावली के साथ विचारण न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

उभयपक्ष को आदेशित किया जाता है कि वे दिनांक-01.09.2026 को विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों।

बाद मियाद पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक-06.08.2026

(रविन्द्र प्रसाद गुप्ता)
अपर जिला न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या-17, लखनऊ।

उपरोक्त निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक-06.08.2026

(रविन्द्र प्रसाद गुप्ता)
अपर जिला न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या-17, लखनऊ।

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ,कक्ष संख्या-17, लखनऊ।

प्रकीर्ण सिविल अपील संख्या-58/2025

विशुन दास शुक्ला बनाम श्री राम आदि।

दिनांक-06.08.2026

आज पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित। आज पत्रावली निर्णय हेतु नियत है। निर्णय तैयार कर सुनाया गया। आदेश हुआ कि:-

अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील संख्या-58/2025 विशुनदास शुक्ला बनाम श्रीराम आदि स्वीकार की जाती है।

विद्वान विचारण न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०) कोर्ट नम्बर-39, लखनऊ द्वारा मूल वाद संख्या-435/2023, श्री राम एवं अन्य बनाम विशुनदास शुक्ला एवं अन्य में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी०पी०सी० पर पारित आदेश दिनांकित-28.01.2025 अपास्त किया जाता है।

वाद लिपिक को आदेशित किया जाता है कि इस निर्णय की एक प्रति प्रमाणित कर मूल पत्रावली के साथ विचारण न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

उभयपक्ष को आदेशित किया जाता है कि वे दिनांक-01.09.2026 को विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों।

बाद मियाद पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक-06.08.2026

(रविन्द्र प्रसाद गुप्ता)
अपर जिला न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या-17, लखनऊ।